



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 697 राँची, सोमवार, 28 अक्टूबर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

19 सितम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-134/2016 का०- 5965--श्री अशोक कुमार साह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-668/03), तत्कालीन अपर समाहर्ता, गुमला के विरुद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-62(ii)/गो०, दिनांक 22.03.2017 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री साह के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) अपर समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान विभिन्न कास्तकारी अधिनियमों यथा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 का गलत व्याख्या कर बकास्त, मझियस, जिरात एवं बेटखेता किस्म को जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगाने संबंधी पत्र निर्गत किया गया। उक्त कृत्य से निबंधन कार्य बाधित हुई तथा सरकारी राजस्व की क्षति हुई।

(ii) उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर मनमानी करते हुए अधीनस्थ कर्मियों को दबाव डालकर डराना एवं धमकाकर कार्य कराया गया।

(iii) बिना विभागीय आदेश के अंचलाधिकारियों को बकास्त, मझियस, जिरात एवं बेटखेता किस्म के जमीन का अवैध जमाबंदी मानते हुए चिन्हित कर नोटिस निर्गत कराने का निदेश दिया गया, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई।

(iv) उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं मनमानीपूर्ण/हठधर्मिता का परिचय दिया गया।

(v) सुखा से प्रभावित किसानों के बीच कृषि इनपुट अनुदान के वितरण में अभिरूची नहीं लेने तथा लापरवाही बरतना एवं अंचलाधिकारियों/अंचल निरीक्षकों को राशि वितरण करने हेतु मना किया गया।

(vi) श्री अशोक कुमार साह द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

2. उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-6289, दिनांक 12.05.2017 द्वारा श्री साह से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री साह के पत्रांक-1 कैम्प, दिनांक 07.07.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री साह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-11850, दिनांक 04.11.2017 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गयी है। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-1017 (ii)/स्था०, दिनांक 20.12.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

3. श्री साह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-5466 (HRMS), दिनांक 21.05.2020 द्वारा श्री साह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-174, दिनांक 18.03.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री साह के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कुल 6 आरोप में से मात्र आरोप सं०-04 पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत बचाव बयान को स्वीकृत किए जाने योग्य प्रतिवेदित किया गया एवं शेष आरोप सं०-01, 02, 03, 05 एवं 06 पर प्रस्तुत बचाव बयान स्वीकृति किए जाने योग्य नहीं है, प्रतिवेदित किया गया।

5. श्री साह के विरुद्ध आरोप, इनका बचाव बयान, उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-634, दिनांक 01.02.2023 द्वारा निन्दन के दण्ड अधिरोपित के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। श्री साह, पत्र दिनांक-01.02.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है।

6. श्री साह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं इनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत आरोपी पदाधिकारी के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में परिवर्तित करते हुए उनके पेंशन से 5 प्रतिशत की राशि दो वर्षों तक कटौती करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

7. उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-2182, दिनांक 13.04.2023 द्वारा श्री साह से कारण पृच्छा की गई, जिसके अनुपालन में उनके पत्र, दिनांक 21.04.2023 द्वारा अपना जवाब समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं

अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-634, दिनांक 01.02.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग के अनुपालन में दिनांक 01.02.2023 को ही उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया था।

पुनः झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत प्रश्नगत कार्यवाही को परिवर्तित करते हुए कारण पृच्छा की माँग इस तथ्य का द्योतक है कि झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत उक्त कार्यवाही सक्षम प्राधिकार द्वारा निष्पादित है, जिसे विभाग द्वारा संसूचित किया जाना था। अतः निष्पादित कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में परिवर्तित करना विधि सम्मत नहीं है एवं पुनः इसकी समीक्षा करना भी विधि सम्मत नहीं है।

8. श्री साह द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा की गई है। समीक्षा में पाया गया कि विभागीय पत्रांक-634, दिनांक 01.02.2023 द्वारा प्रस्तावित निन्दन के दण्ड पर आरोपी पदाधिकारी श्री साह द्वारा पूर्व में समर्पित तथ्यों को ही अपने द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तुत किया गया था। विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध मात्र आरोप सं०-4 को छोड़कर शेष आरोप सं०-1, 2, 3, 5 एवं 6 प्रमाणित है। उक्त के समीक्षोपरांत ही आरोपी पदाधिकारी के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया था। इसी बीच, श्री साह दिनांक 28.02.2023 को सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी भी कर्म पर झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत दण्ड अधिरोपित नहीं किया सकता है। फलस्वरूप उनके विरुद्ध उक्त नियमावली के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में परिवर्तित करते हुए उनके विरुद्ध उपरोक्त निर्धारित पेंशन कटौती के दण्ड पर कारण पृच्छा की गई है।

9. समीक्षोपरांत, श्री साह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा अस्वीकृत करते हुए श्री साह के पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत की राशि दो वर्षों तक कटौती करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक-5095, दिनांक 11.09.2023 एवं पत्रांक-1811, दिनांक 07.03.2024 द्वारा उक्त पेंशन कटौती के दण्ड के बिन्दु पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी।

10 झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2107, दिनांक 14.08.2024 द्वारा श्री साह के पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत की राशि दो वर्षों तक कटौती करने पर सहमति प्रदान की गई।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अशोक कुमार साह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-668/03), तत्कालीन अपर समाहर्ता, गुमला, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के निरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत उनके पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत की राशि 02 (दो) वर्षों तक कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज़,

सरकार के उप सचिव।
